

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 567/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता-द्वितीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हैक्कू खां पुत्र इदरीश खां,
गांव-करहडी, नगीना, जिला-नुहू, हरियाणा
जरिये मैसर्स बजरंग ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

दिनांक : 24/01/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 51/आरवेट/एनआरडी/2009-2010 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-II, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.05.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.03.2009 को वाहन संख्या आर.जे.02/2जी-6526 व आर.जे.-02जी-5971 की जांच अलवर में की गई। वाहन चालक वाहन संख्या आर.जे.02/2जी-6526 को भगा कर ले गया एवं अन्य वाहन को पुलिस के सहयोग से कार्यालय लाया गया। ट्रक में लदे माल के संबंध में वाहन चालक/मालप्रभारी से बयान लिये गये। उन्होंने माल के संबंध में कोई भी दस्तावेज होने से इंकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर माल का मूल्यांकन कर धारा 76(6) व धारा 76(9) में नोटिस जारी किया गया। उक्त कमियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी पर धारा 76(9) के तहत कुल मांग राशि 1,53,712/- आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

↓

लगातार.....2

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(9) के तहत जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था, क्योंकि वक्त जांच दस्तावेजों का वाहन चालक के पास न मिलना कर चोरी को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में मिथ्या व कूटरचित आधार पर माल परिवहनित किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत थी, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा विभिन्न दिनांकों को प्रमाणित प्रतिलिपि लेने, पत्रावली का अवलोकन करने, सीजर मीमो जांच हेतु आदि प्रार्थना की गई, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के समस्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवसायी द्वारा चाही गई प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना यह निर्धारण अधिकारी का कर्तव्य था परन्तु उसने सभी प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र अपील मीमो के साथ प्रस्तुत किये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित, होकर की है। कानूनी खाना पूर्ती के आधार पर वाहन चालक से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर रिपोर्ट तैयार करना। अपील पत्रावली पर वाहन चालक का शपथ पत्र पृष्ठ संख्या 13 पर उपलब्ध है, जिसमें उसने बयान किया है कि उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आधारहीन मूल्यांकन फर्द बनाया जाकर उस पर कार्यवाही किया जाना पूर्णतः अनुचित है। इस रिपोर्टस पर किसी व्यवसायी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रस्तुत रिकार्डस से स्पष्ट है कि विवादित वाहन में परिवहनित माल दस्तावेजों से संबंधित था, जो अपील पत्रावली पर बिल/बिल्टी की प्रति उपलब्ध होना प्रमाणित करता है। यह प्रकरण वेट अधिनियम की धारा 76(9) में आरोपित शास्ति से सम्बन्धित है, जबकि धारा 76(6) के शास्ति के आरोपण के अभाव में धारा 76(9) की शास्ति का आरोपण अविधिक हो जाता है। अभिप्राय यह है कि धारा 76(6) का कोई प्रकरण दर्ज किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य इस पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, विभाग की ओर से इस अपील में धारा 76(6) की शास्ति आरोपित करना बताया है जबकि प्रस्तुत आदेश में शास्ति धारा 76(9) के अन्तर्गत आरोपित की गयी है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धारा 76(9) की शास्ति किसी वाहन स्वामी या परिवहन में माल के प्रभारी द्वारा धारा 76(6) के उल्लंघन पर शास्ति आरोपित करने के प्रावधान हैं अर्थात् यह स्वतः अनिवार्य हो जाता है कि माल का परिवहन धारा 76(6) का उल्लंघन के साथ होना चाहिये, उसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76(9) की शास्ति आरोपित होती है जो कि माल के मालिक के सम्बन्ध में होती है परन्तु इस प्रकरण में ऐसा कोई न तो दस्तावेज पाया गया न ही कोई पत्रावली के आदेश पत्र में ऐसा आभास होता है कि माल के सम्बन्ध में 76(6) की शास्ति आरोपित की गयी है। वाहन चालक के बयानों के अनुसार जिस तरह से वाहन के केबिन में घुसकर तलाशी ली गई, उसकी मौका फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई एवं न ही कोई गवाहों के बयान लिये गये। अपीलीय अधिकारी ने उक्त समस्त तथ्यों के विवेचन के साथ सक्षम अधिकारी के आदेश को विधिविरुद्ध निर्णित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय उचित है कि माल के बिल-बिल्टी परिवहन के समय साथ थे, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने जांच करके मिथ्या व बोगस प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल संदेह के आधार पर करापवचन किये जाने की सम्भावना के आधार पर वाहन चालक की सहभागिता प्रमाणित किये बिना शास्ति का आरोपण अनुचित माना है जिसमें कोई विधिक गलती होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में धारा 76(6) का उल्लंघन नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत निर्णय किया गया है। जिसमें कोई हस्तक्षेप होने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य